भारत गणराज्य की सरकार
और
सर्बिया गणराज्य की सरकार
के बीच
वायु सेवा समझौता

भारत गणराज्य की सरकार और सर्बिया गणराज्य की सरकार (इसके बाद "पक्षकार" के रूप में संदर्भित);

दिनांक 07 दिसम्बर, 1944 को शि कागो में हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन अभि समय के पक्षकार होने के नाते;

अपने-अपने राज्यक्षेत्रों के बीच अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवाओं को बढ़ावा देने की इच्छा रखते हुए;

विमान सेवाओं के बीच प्रतिस्पर्धा पर आधारित एक अंतर्राष्ट्रीय विमानन प्रणाली को बढ़ावा देने की इच्छा रखते हुए; और

अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवाओं में उच्चतम स्तर की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करने की इच्छा रखते हुए तथा वायुयानों की सुरक्षा के विरुद्ध ऐसे कृत्यों या खतरों के बारे में अपनी गंभीर चिंता की पुनः पुष्टि करते हुए, जो व्यक्तियों या संपत्ति की सुरक्षा को खतरे में डालते हैं, वायु सेवाओं के परिचालन पर प्रतिकूल प्रभावित होते हैं और नागर विमानन की सुरक्षा में जनविश्वास को कम करते हैं;

निम्नलिखित पर सहमत हुए हैं:

अनुच्छेद 1
परिभाषाएँ

इस समझौते के प्रयोजनों के लिए, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, पद का अर्थ है:

(1) ''वैमानिकी प्राधि कारी'' से प्रत्येक पक्षकार के लिए वह प्राधिकरण या वे प्राधिकरण अभिप्रेत हैं जिन्हें समय-समय पर एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को लिखित रूप में अधिसूचित किया जाए;

(2) "समझौता" से यह समझौता, इसका अनुबंध तथा इसमें किए गए कोई संशोधन अभिप्रेत हैं;

(3) "वायु सेवा", "अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा", "एयरलाइन कंपनी" और "गैर-यातायात प्रयोजनों के लिए ठहराव" के वही अर्थ होंगे जो अभिसमय के अनुच्छेद 96 में उन्हें दिए गए हैं;

(4) "क्षमता" से इस समझौते के अधीन प्रदान की जाने वाली सेवाओं की मात्रा अभिप्रेत है, जिसे सामान्यतः उड़ानों (फ्रीक्वेंसी), सीटों या किसी बाजार (शहर-जोड़ी अथवा देश-से-देश) या किसी मार्ग पर किसी विशिष्ट अवधि, जैसे दैनिक, साप्ताहिक, मौसमी या वार्षिक, के दौरान प्रस्तावित कार्गो के टन की संख्या में मापा जाता है;

(5) “अभिसमय” से दिनांक 7 दिसंबर, 1944 को शिकागो में हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन अभिसमय अभिप्रेत है, जिसमें अभिसमय के अनुच्छेद 94(क) के अध्यधीन प्रभावी हुआ और दोनों पक्षकारों द्वारा अनुसमर्थित कोई संशोधन तथा अभिसमय के अनुच्छेद 90 के अध्यधीन अंगीकृत कोई अनुबंध या उसका कोई संशोधन शामिल है, जहां तक ऐसे अनुबंध या संशोधन किसी भी समय दोनों पक्षकारों के लिए प्रभावी हों;

(6) “नामित एयरलाइन कंपनी” से इस समझौते के अनुच्छेद 3 के अनुसार नामित और प्राधिकृत वायुयान कंपनी अभिप्रेत है;

(7) “पूर्ण लागत” से सेवा प्रदान करने की लागत तथा प्रशासनिक उपरिव्यय के लिए उचित प्रभार सहित लागत अभिप्रेत है;

(8) “इंटरमॉडल परिवहन” से यात्रियों, सामान, कार्गो और डाक का, अलग-अलग या संयोजन में, पारिश्रमिक या भाड़े के लिए वायुयान द्वारा तथा परिवहन के एक या अधिक स्थलीय साधनों द्वारा सार्वजनिक वहन अभिप्रेत है;

(9) “टैरिफ” से यात्रियों (और उनके सामान) और/या कार्गो (डाक को छोड़कर) के वायु सेवा द्वारा वहन के लिए एयरलाइन कंपनी(यों), उनके अभिकर्ताओं सहित, द्वारा लिया जाने वाला कोई किराया, दर या प्रभार तथा ऐसे किराए, दर या प्रभार की उपलब्धता को नियंत्रित करने वाली शर्तें अभिप्रेत हैं;

(10) “क्षेत्र” का वही अर्थ होगा जो अभिसमय के अनुच्छेद 2 में प्रयुक्त किया गया है;

(11) “उपयोगकर्ता प्रभार” से हवाईअड्डा, वायु दिक्चालन या विमानन सुरक्षा सुविधाओं अथवा सेवाओं के प्रावधान के लिए वायुयान कंपनी(यों) पर लगाया गया प्रभार अभिप्रेत है, जिसमें वायुयानों, उनके चालक दल, यात्रियों, सामान और कार्गो के लिए संबंधित सेवाएं और सुविधाएं शामिल हैं।

अनुच्छेद 2
अधिकारों प्रदान करना

1. प्रत्येक पक्षकार दूसरे पक्षकार को इस समझौते में निर्दिष्ट अधिकार प्रदान करता है, ताकि इस समझौते के अनुबंध के उपयुक्त अनुभाग या भाग में निर्दिष्ट मार्गों पर अनुसूचित अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवाएं स्थापित की जा सकें। ऐसी सेवाओं और मार्गों को आगे क्रमशः “सहमत सेवाएं” और “निर्दिष्ट मार्ग” कहा जाएगा।
2. इस समझौते के उपबंधों के अध्यधीन, प्रत्येक पक्षकार द्वारा नामित एयरलाइन कंपनी(यों) को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होंगे:

   (क) दूसरे पक्षकार के क्षेत्र के ऊपर बिना अवतरण किए उड़ान भरना;

   (ख) गैर-यातायात प्रयोजनों के लिए दूसरे पक्षकार के क्षेत्र में ठहराव करना; और

   (ग) इस समझौते के अनुबंध में उस मार्ग के लिए निर्दिष्ट बिंदुओं पर सहमत सेवा प्रचालित करते समय, प्रत्येक पक्षकार द्वारा नामित एयरलाइन कंपनी(यों) को दूसरे पक्षकार के क्षेत्र में यात्रियों और कार्गो, जिसमें डाक भी शामिल है, को अलग-अलग या संयोजन में अंतर्राष्ट्रीय यातायात के रूप में चढ़ाने और उतारने का अधिकार भी होगा।
3. अनुच्छेद 3 के अधीन नामित एयरलाइन कंपनी(यों) के अतिरिक्त, प्रत्येक पक्षकार की अन्य एयरलाइन कंपनी(यों) को भी इस अनुच्छेद के पैरा 2 के खंड (क) और (ख) में निर्दिष्ट अधिकार प्राप्त होंगे।

4. इस अनुच्छेद के पैरा 2 में ऐसा कुछ भी नहीं माना जाएगा जिससे एक पक्षकार की नामित एयरलाइन कंपनी(यों) को दूसरे पक्षकार के क्षेत्र में यात्रियों और कार्गो, जिसमें डाक भी शामिल है, को उस दूसरे पक्षकार के क्षेत्र में किसी अन्य बिंदु के लिए ले जाने का विशेषाधिकार प्राप्त हो।
5. यदि सशस्त्र संघर्ष, राजनीतिक अशांति या किसी अन्य विशेष और असामान्य परिस्थिति के कारण एक पक्षकार की नामित एयरलाइन कंपनी अपने सामान्य मार्ग पर सेवा प्रचालित करने में असमर्थ हो, तो दूसरा पक्षकार ऐसे सेवा के निरंतर संचालन को सुगम बनाने के लिए उपयुक्त अस्थायी मार्ग पुनर्विन्यास के माध्यम से, जैसा कि पक्षकारों द्वारा परस्पर तय किया जाए, अपने सर्वोत्तम प्रयास करेगा।
6. एक पक्षकार की नामित एयरलाइन कंपनी(यों) को दूसरे पक्षकार द्वारा उपलब्ध कराए गए वायुमार्गों, हवाईअड्डों और अन्य सुविधाओं का गैर-भेदभावपूर्ण आधार पर उपयोग करने का अधिकार होगा।

अनुच्छेद 3
एयरलाइन कंपनियों का पदनामन और प्राधिकार

1. प्रत्येक पक्षकार को विनिर्दिष्ट मार्गों पर सहमत सेवाओं के प्रचालन के प्रयोजन से एक या अधिक एयरलाइन कंपनियों को नामित करने तथा ऐसे नामांकनों को वापस लेने या उनमें परिवर्तन करने का अधिकार होगा। ऐसे नामांकन लिखित रूप में किए जाएंगे और राजनयिक माध्यमों से दूसरे पक्षकार को प्रेषित किए जाएंगे तथा यह स्पष्ट करेंगे कि एयरलाइन कंपनी अनुबंध में विनिर्दिष्ट प्रकार की वायु सेवाएं प्रचालित करने के लिए प्राधिकृत है या नहीं।
2. किसी भी पक्षकार की नामित एयरलाइन कंपनी(यों) से ऐसा नामांकन और आवेदन प्राप्त होने पर, निर्धारित रूप और माध्यम में, दूसरे पक्षकार के विमानन प्राधिकरण न्यूनतम प्रक्रियात्मक विलंब के साथ उपयुक्त संचालन प्राधिकरण प्रदान करेंगे, बशर्ते कि:
   (क) उस एयरलाइन कंपनी का पर्याप्त स्वामित्व और प्रभावी नियंत्रण वायुयान कंपनी को नामित करने वाले पक्षकार या उसके नागरिकों में निहित हो;
   (ख) नामित एयरलाइन कंपनी उस पक्षकार द्वारा, जो आवेदन पर विचार कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवाओं के प्रचालन पर सामान्यतः लागू कानूनों और विनियमों के अधीन निर्धारित शर्तों को पूरा करने के लिए योग्य हो; और
   (ग) एयरलाइन कंपनी को नामित करने वाला पक्षकार इस समझौते के अनुच्छेद 9 और अनुच्छेद 10 में निर्धारित मानकों को बनाए और प्रशासित कर रहा हो।

अनुच्छेद 4
प्रचाननिक प्राधिकार का निरसन या निलंबन

1. कोई भी पक्षकार दूसरे पक्षकार द्वारा नामित किसी एयरलाइन कंपनी को प्रदान किए गए प्रचालन प्राधिकरण को रद्द या निलंबित कर सकता है अथवा ऐसी शर्तें लगा सकता है जिन्हें वह आवश्यक समझे, यदि:
   (क) उस एयरलाइन कंपनी का पर्याप्त स्वामित्व और प्रभावी नियंत्रण दूसरे पक्षकार या उसके नागरिकों में निहित नहीं है;

(ख) उस एयरलाइन कंपनी ने इस समझौते के अनुच्छेद 6 में संदर्भित कानूनों और विनियमों का पालन करने में विफलता की है; या

(ग) दूसरा पक्षकार इस समझौते के अनुच्छेद 9 में निर्धारित मानकों को अनुरक्षित और प्रशासित नहीं कर रहा है।

2. जब तक इस अनुच्छेद के पैरा 1 के खंड (ख) और (ग) के साथ आगे अनुपालन न होने को रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई आवश्यक न हो, इस अनुच्छेद द्वारा स्थापित अधिकारों का प्रयोग दूसरे पक्षकार के साथ परामर्श के बाद ही किया जाएगा।

3. यह अनुच्छेद किसी भी पक्षकार के इस अधिकार को सीमित नहीं करता कि वह इस समझौते के अनुच्छेद 10 के उपबंधों के अनुसार दूसरे पक्षकार की किसी एयरलाइन कंपनी के प्रचालन प्राधिकरण को रोक सके, रद्द कर सके, सीमित कर सके या उस पर शर्तें लगा सके।

अनुच्छेद 5
सहमत सेवाओं के प्रचालन को शासित करने वाले सिद्धांत

1. दोनों पक्षकारों की नामित एयरलाइन कंपनियों को अपने-अपने राज्यक्षेत्रों के बीच विनिर्दिष्ट मार्गों पर सहमत सेवाओं का प्रचालित करने के लिए निष्पक्ष और समान अवसर होगा।

2. प्रत्येक पक्षकार की नामित एयरलाइन कंपनी(यों) द्वारा प्रदान की जाने वाली क्षमता और प्रचालित की जाने वाली सेवाओं की आवृत्ति दोनों पक्षकारों के बीच सहमत की जाएगी।

3. प्रत्येक पक्षकार की नामित एयरलाइन कंपनी(यों) द्वारा प्रदान की जाने वाली क्षमता और प्रचालित की जाने वाली सेवाओं की आवृत्ति में कोई वृद्धि दोनों पक्षकारों के बीच समझौते के अधीन होगी। ऐसे समझौते अथवा समाधान के लंबित रहने तक, पहले से प्रभावी क्षमता और आवृत्ति के अधिकार विद्यमान रहेंगे।

4. उपर्युक्त के बावजूद, प्रत्येक पक्षकार की नामित एयरलाइन कंपनी(यों) को इस समझौते से संलग्न मार्ग अनुसूची में विनिर्दिष्ट बिंदुओं की परवाह किए बिना, किसी भी प्रकार के वायुयान से दूसरे के क्षेत्र के बीच पूर्ण तृतीय, चतुर्थ और पंचम स्वतंत्रता यातायात अधिकारों के साथ किसी भी संख्या में सर्व-कार्गो सेवाएं संचालित करने का अधिकार होगा। ऐसी सर्व-कार्गो सेवाएं किसी अन्य एयरलाइन कंपनी(यों), जिसमें तीसरे देशों की वायुयान कंपनियां भी शामिल हैं, के साथ कोड शेयर, ब्लॉक स्पेस आदि जैसी सहकारी विपणन व्यवस्थाओं के अंतर्गत भी संचालित की जा सकती हैं।

अनुच्छेद 6
कानूनों का अनुप्रयोग

1. किसी पक्षकार के क्षेत्र में प्रवेश करते समय, उसके भीतर रहते हुए या उससे प्रस्थान करते समय, एयरलाइनों के प्रचालन और दिक्चालन से संबंधित उसके कानूनों, विनियमों और प्रक्रियाओं का दूसरे पक्षकार की नामित एयरलाइन कंपनी(यों) द्वारा पालन किया जाएगा।

2. किसी पक्षकार के क्षेत्र में प्रवेश करते समय, उसके भीतर रहते हुए या उससे प्रस्थान करते समय, यात्रियों, सामान, कर्मीदल या विमान में कार्गो के प्रवेश या उसके क्षेत्र से प्रस्थान से संबंधित उसके कानूनों, विनियमों और प्रक्रियाओं (जिसमें प्रवेश, क्लियरेंस, विमानन सुरक्षा, आव्रजन, पासपोर्ट, सीमा शुल्क, मुद्रा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और संगरोध

से सबंधित विनियम अथवा डाक के मामले में डाक संबंधी विनियम सहित) का दूसरे पक्षकार की नामित एयरलाइन कंपनी(यों) के ऐसे यात्रियों, चालक दल या कार्गो प्रेषकों द्वारा या उनकी ओर से पालन किया जाएगा।

3. कोई भी पक्षकार इस अनुच्छेद में प्रदान किए गए कानूनों, विनियमों और प्रक्रियाओं के अनुप्रयोग में दूसरे पक्षकार की नामित एयरलाइन कंपनी के समान अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवाओं में लगी अपनी या किसी अन्य वायुयान कंपनी को वरीयता नहीं देगा।
4. किसी भी पक्षकार के क्षेत्र से होकर प्रत्यक्ष पारगमन में जाने वाले और ऐसे प्रयोजन के लिए आरक्षित हवाईअड्डे के क्षेत्रों से बाहर न निकलने वाले यात्रियों, सामान और कार्गो पर हिंसा, वायु डकैती, मादक पदार्थ नियंत्रण आदि के विरुद्ध सुरक्षा उपायों को छोड़कर, सरल नियंत्रण से अधिक नियंत्रण नहीं लगाया जाएगा।

अनुच्छेद 7

प्रयोक्ता प्रभार

1. किसी पक्षकार के सक्षम प्रभार लगाने वाले प्राधिकरणों द्वारा दूसरे पक्षकार की नामित एयलाइन कंपनी(यों) पर लगाए जा सकने वाले प्रयोक्ता प्रभार न्यायसंगत, उचित, गैर-भेदभावपूर्ण होंगे और सभी श्रेणियों के प्रयोक्ताओं के बीच न्यायसंगत रूप से अनुभाजित होंगे। ऐसे प्रयोक्ता प्रभार दूसरे पक्षकार की नामित एयरलाइन कंपनी(यों) पर ऐसे नियमों और शर्तों पर लगाए जाएंगे जो उस समय किसी अन्य एयरलाइन कंपनी को उपलब्ध शर्तों से कम अनुकूल न हों।
2. दूसरे पक्षकार की नामित एयरलाइन कंपनी(यों) पर लगाए गए प्रयोक्ता प्रभार सक्षम प्रभार लगाने वाले प्राधिकरणों द्वारा उपयुक्त हवाईअड्डा, पर्यावरण, वायु दिक्चालन और विमानन सुरक्षा सुविधाएं तथा हवाईअड्डे या हवाईअड्डा प्रणाली के भीतर सेवाएं प्रदान करने की पूर्ण लागत को प्रतिबिंबित कर सकते हैं, किंतु उससे अधिक नहीं होंगे। ऐसी पूर्ण लागत में मूल्यह्रास के बाद परिसंपत्तियों पर उचित प्रतिफल शामिल हो सकता है। जिन सुविधाओं और सेवाओं के लिए प्रभार लिया जाता है, उन्हें दक्ष और आर्थिक आधार पर प्रदान किया जाएगा।
3. प्रत्येक पक्षकार अपने क्षेत्र में सक्षम प्रभार प्राधिकरणों और सेवाओं तथा सुविधाओं का उपयोग करने वाली नामित एयरलाइन कंपनी(यों) के बीच परामर्श को प्रोत्साहित करेगा। प्रत्येक पक्षकार सक्षम प्रभार प्राधिकरणों और एयरलाइन कंपनियों को ऐसी सूचना का आदान-प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करेगा जो इस अनुच्छेद के पैरा 1 और 2 में उल्लिखित सिद्धांतों के अनुसार प्रभारों की औचित्य की सटीक और पारदर्शी समीक्षा की अनुमति देने के लिए आवश्यक हो। प्रत्येक पक्षकार सक्षम प्रभार प्राधिकरणों को प्रयोजनाओं को प्रयोक्ता प्रभारों में प्रस्तावित किसी परिवर्तन की औचित्सपूर्ण नोटिस प्रदान करें । जिससे कि प्रयोक्ता परिवर्तन लागू किए जाने से पहले प्रयोक्ता अपने विचार व्यक्त कर सकें।
4. विवाद समाधान प्रक्रियाओं में, इस समझौते के अनुच्छेद 20 के अनुसार, किसी पक्षकार को इस अनुच्छेद के किसी उपबंध के उल्लंघन में नहीं माना जाएगा, यदि:
   (क) उसने दूसरे पक्षकार की शिकायत के विषय बने प्रभार या व्यवहार की उचित समय के भीतर समीक्षा की है; और
   (ख) ऐसी समीक्षा के बाद, उसने किसी ऐसे प्रभार या व्यवहार को सुधारने के लिए अपने अधिकार में सभी कदम उठाए हैं जो इस अनुच्छेद के असंगत है।

अनुच्छेद 8

सीमा शुल्क और प्रभार

1. प्रत्येक पक्षकार पारस्परिकता के सिद्धांत पर, अपने राष्ट्रीय कानून के अधीन यथासंभव पूर्ण सीमा तक, दूसरे पक्षकार की नामित एयरलाइन कंपनी(यों) को विमान, ईंधन, स्नेहकों उपभोज्य तकनीकी आपूर्तियों, इंजनों सहित स्पेयर पार्ट्स, नियमित विमान उपकरण, विमान भंडार (जिसमें भोजन, पेय और मादक पदार्थ, तम्बाकू तथा बिक्री के लिए या केवल विमान के प्रचालन या सेवा के संबंध में उपयोग के लिए नियत अन्य उत्पाद शामिल हैं, किंतु इन्हीं तक सीमित नहीं) तथा मुद्रित टिकट स्टॉक, एयर वे बिल, कंपनी का चिह्न मुद्रित किसी मुद्रित सामग्री और नामित एयरलाइन कंपनी(यों) द्वारा निःशुल्क वितरित सामान्य प्रचार सामग्री जैसी अन्य वस्तुओं पर सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, निरीक्षण शुल्क और अन्य राष्ट्रीय शुल्कों तथा प्रभारों से छूट प्रदान करेगा।
2. इस अनुच्छेद के अध्यधीन छूट तभी दी जाएगी जब पैरा 1 में उल्लिखित वस्तुएं:
   (क) एक पक्षकार के क्षेत्र में दूसरे पक्षकार की नामित एयरलाइन कंपनी(यों) द्वारा या उनकी ओर से लाई गई हों; या
   (ख) दूसरे पक्षकार के क्षेत्र में आगमन या प्रस्थान के समय एक पक्षकार की नामित वायुयान कंपनी(यों) के वायुयानों पर रखी गई हों; या
   (ग) सहमति सेवाओं के संचालन में उपयोग के लिए एक पक्षकार की नामित एयरलाइन कंपनी(यों) के वायुयानों पर दूसरे पक्षकार के क्षेत्र में चढ़ाई गई हों।
3. इस अनुच्छेद के अध्यधीन छूट इस तथ्य की परवाह किए बिना लागू होगी कि ऐसी वस्तुएं छूट देने वाले पक्षकार के क्षेत्र के भीतर पूर्णतः उपयोग या उपभोग की गई हैं या नहीं, बशर्ते कि ऐसी वस्तुओं का स्वामित्व उक्त पक्षकार के क्षेत्र में हस्तांतरित न किया जाए।
4. किसी भी पक्षकार की नामित एयरलाइन कंपनी(यों) के विमानों पर सामान्यतः रखे जाने वाले नियमित वायुमार्गीय उपकरण तथा सामग्री और आपूर्तियां दूसरे पक्षकार के क्षेत्र में केवल उस पक्षकार के सीमा शुल्क प्राधिकरणों की अनुमति से उतारी जा सकती हैं। ऐसी स्थिति में, उन्हें उक्त प्राधिकरणों की निगरानी में तब तक रखा जा सकता है जब तक उन्हें पुनः निर्यात न कर दिया जाए या सीमा शुल्क विनियमों के अनुसार सीमा शुल्क द्वारा अनुमोदित प्रक्रिया के अधीन निपटाया न जाए।

अनुच्छेद 9
संरक्षा

1. कोई भी पक्षकार दूसरे पक्षकार द्वारा नामित एयरलाइन से संबंधित विमानन सुविधाओं, चालक दल, वायुयानों और नामित एयरलाइन कंपनी के प्रचालन के संबंध में बनाए रखे गए सुरक्षा मानकों के बारे में परामर्श का अनुरोध कर सकता है। ऐसे परामर्श अनुरोध की तारीख से 30 दिनों के भीतर या पक्षकारों द्वारा सहमत किसी अधिक लंबी अवधि के भीतर होंगे।
2. यदि ऐसे परामर्श के बाद एक पक्षकार पाता है कि इस अनुच्छेद के पैरा 1 में उल्लिखित क्षेत्रों में उस समय अभिसमय के अनुसार स्थापित मानकों को पूरा करने वाले सुरक्षा मानकों को दूसरे पक्षकार द्वारा नामित एयरलाइन कंपनी(यों) के संबंध में प्रभावी रूप से बनाए और प्रशासित नहीं किया जा रहा है, तो दूसरे पक्षकार को ऐसे निष्कर्षों और इन न्यूनतम मानकों के अनुरूप होने के लिए आवश्यक समझे गए कदमों के बारे में सूचित किया जाएगा और दूसरा पक्षकार उचित सुधारात्मक कार्रवाई करेगा।
3. प्रत्येक पक्षकार दूसरे पक्षकार द्वारा नामित किसी एयरलाइन कंपनी के संचालन प्राधिकरण को निलंबित या सीमित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, यदि दूसरा पक्षकार इस अनुच्छेद के पैरा 2 में विनिर्दिष्ट अधिसूचना की तारीख से 30 दिनों के भीतर उचित सुधारात्मक कार्रवाई नहीं करता।

4. यह सहमत है कि एक पक्षकार की वायुयान कंपनी द्वारा दूसरे पक्षकार के क्षेत्र के लिए या वहां से सेवाओं पर प्रचालित कोई विमान, दूसरे पक्षकार के क्षेत्र में रहते समय, दूसरे पक्षकार के अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा वायुयान पर और उसके आसपास परीक्षा का विषय बनाया जा सकता है, ताकि विमान के दस्तावेजों और उसके चालक दल के दस्तावेजों की वैधता तथा विमान और उसके उपकरणों की प्रत्यक्ष स्थिति की जांच की जा सके (इस अनुच्छेद में इसे "रैम्प निरीक्षण" कहा गया है), बशर्ते इससे अनुचित विलंब न हो।

5. 5. यदि ऐसे रैम्प इंस्पेक्शन अथवा श्रृंखलाबद्ध रैम्प इंस्पेक्शनों से निम्नलिखित को बढ़ावा मिलता है:

(क) गंभीर चिंताएं कि कोई विमान या विमान का प्रचालन उस समय अभिसमय के अनुसार स्थापित न्यूनतम मानकों का अनुपालन नहीं करता; या

(ख) गंभीर चिंताएं कि उस समय अभिसमय के अनुसार स्थापित संरक्षा मानकों के प्रभावी रखरखाव और प्रशासन का अभाव है;

तो निरीक्षण करने वाला पक्षकार, अभिसमय के अनुच्छेद 33 के प्रयोजनों के लिए, यह निष्कर्ष निकालने के लिए स्वतंत्र होगा कि उस विमान या उसके चालक दल के संबंध में प्रमाणपत्र या लाइसेंस जारी या वैध किए जाने की आवश्यकताएं, अथवा उस विमान के प्रचालन की आवश्यकताएं, अभिसमय के अनुसार स्थापित न्यूनतम मानकों के बराबर या उनसे अधिक नहीं हैं।

6. यदि इस अनुच्छेद के पैरा 4 के अनुसार एक पक्षकार की एयरलाइन द्वारा प्रचालित वायुयान के रैम्प निरीक्षण के प्रयोजन से पहुंच को उस एयरलाइन के प्रतिनिधि द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है, तो दूसरा पक्षकार यह अनुमान लगाने के लिए स्वतंत्र होगा कि इस अनुच्छेद के पैरा 5 में संदर्भित गंभीर चिंताएं उत्पन्न होती हैं और उस पैरा में संदर्भित निष्कर्ष निकालेगा।

7. प्रत्येक पक्षकार दूसरे पक्षकार की किसी एयरलाइन या एयरलाइन के प्रचालन प्राधिकरण को तत्काल निलंबित या परिवर्तित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, यदि पहला पक्षकार, रैम्प निरीक्षण, रैम्प निरीक्षणों की श्रृंखला, रैम्प निरीक्षण के लिए पहुंच से इनकार, परामर्श या अन्यथा के परिणामस्वरूप यह निष्कर्ष निकालता है कि एयरलाइन के प्रचालन की सुरक्षा के लिए तत्काल कार्रवाई आवश्यक है।

8. इस अनुच्छेद के पैरा 3 या 7 के अनुसार एक पक्षकार द्वारा की गई कोई भी कार्रवाई तब बंद कर दी जाएगी जब उस कार्रवाई को करने का आधार समाप्त हो जाए।

अनुच्छेद 10
विमानन सुरक्षा

1. अंतर्राष्ट्रीय कानून के अधीन अपने अधिकारों और दायित्वों के अनुसार, दोनों पक्षकार पुनः पुष्टि करते हैं कि गैर-कानूनी हस्तक्षेप के कृत्यों के विरुद्ध नागर विमानन की सुरक्षा करने का उनका एक-दूसरे के प्रति दायित्व इस समझौते का अभिन्न अंग है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के अध्अधीन उनके अधिकारों और दायित्वों की व्यापकता को सीमित किए बिना, पक्षकार विशेष रूप से दिनांक 14 सितंबर, 1963 को टोक्यो में किए गए "वायुयान पर किए गए अपराधों और कतिपय अन्य कृत्यों से संबंधित अभिसमय", दिनांक 16 दिसंबर, 1970 को हेग में किए गए "वायुयानों के गैर-कानूनी अपहरण के दमन के लिए अभिसमय", दिनांक 23 सितंबर, 1971 को मॉन्ट्रियल में किए गए "नागर विमानन की सुरक्षा के विरुद्ध गैरकानूनी कृत्यों के दमन के लिए अभिसमय" और 24 फरवरी, 1988 को मॉन्ट्रियल में किए गए उसके प्रोटोकॉल, दिनांक 1 मार्च, 1991 को मॉन्ट्रियल में हस्ताक्षर के लिए खोले गए "पता लगाने के प्रयोजन के लिए प्लास्टिक विध्वंसकों की निशानदेही पर अभिसमय" तथा विमानन सुरक्षा संबंधी किसी अन्य कोई अभिसमय, जिसके दोनों पक्षकार सदस्य बनते हैं, के उपबंधों के अनुरूप कार्य करेंगे।

2. अनुरोध पर, दोनों पक्षकार सिविल विमानों के गैर-कानूनी अभिग्रहण के कृत्यों तथा ऐसे विमानों, उनके यात्रियों और चालक दल, हवाईअड्डों और वायु दिक्चालन सुविधाओं की सुरक्षा के विरुद्ध अन्य गैर-कानूनी कृत्यों को रोकने और नागर विमानन दिक्चालन की सुरक्षा के विरूद्ध किसी अन्य खतरे का सामना करने हेतु एक-दूसरे को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करेंगे।

3. दोनों पक्षकार अपने पारस्परिक संबंधों में अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन द्वारा स्थापित और अभिसमय के अनुबंधों के रूप में नामित सभी विमानन सुरक्षा मानकों और उपयुक्त अनुशंसित परिपाटियों के अनुरूप कार्य करेंगे; वे यह अपेक्षा करेंगे कि उनके रजिस्टर के वायुयानों के प्रचालक, ऐसे विमानों के प्रचालक जिनका प्रमुख व्यवसाय स्थल या स्थायी निवास उनके क्षेत्र में है तथा उनके क्षेत्र में हवाईअड्डों के प्रचालक ऐसी विमानन सुरक्षा व्यवस्थाओं के अनुरूप कार्य करें।

4. प्रत्येक पक्षकार दूसरे पक्षकार द्वारा उसके क्षेत्र में प्रवेश और वहां से प्रस्थान के लिए अपेक्षित सुरक्षा उपबंधों का पालन करने तथा विमानों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त उपाय करने और चढ़ाने या लोड करने से पहले तथा उसके दौरान यात्रियों, चालक दल और उनके सामान तथा साथ ले जाए जाने वाली वस्तुओं, साथ ही कार्गो और वायुयान भंडार का निरीक्षण करने पर सहमत है। प्रत्येक पक्षकार किसी विशेष खतरे से निपटने के लिए दूसरे पक्षकार के किसी विशेष सुरक्षा उपाय के अनुरोध पर भी सकारात्मक विचार करेगा।

5. जब किसी विमान के गैर-कानूनी अभिग्रहण की कोई घटना या ऐसी घटना का खतरा अथवा यात्रियों, चालक दल, वायुयानों, हवाईअड्डों या वायु दिक्चालन सुविधाओं की सुरक्षा के विरुद्ध अन्य गैरकानूनी कृत्य घटित हो, तो दोनों पक्षकार ऐसी घटनाओं अथवा उनके खतरे को शीघ्र और सुरक्षित रूप से समाप्त करने के उद्देश्य से संचार सुविधाएं और अन्य उपयुक्त उपायों को सुगम बनाकर एक-दूसरे की सहायता करेंगे।

6. जब किसी पक्षकार के पास यह विश्वास करने के औचित्यपूर्ण आधार हों कि दूसरे पक्षकार ने इस अनुच्छेद के विमानन सुरक्षा उपबंधों से विचलन किया है, तो उस पक्षकार के वैमानिकी प्राधिकारी दूसरे पक्षकार के वैमानिकी प्राधिकारियों के साथ तत्काल परामर्श का अनुरोध कर सकते हैं। ऐसे अनुरोध की तिथि से 15 दिनों के भीतर संतोषजनक समझौता न हो पाना उस पक्षकार की नामित एयरलाइन और एयरलाइनों के प्रचालन प्राधिकरण को रोकने, रद्द करने, सीमित करने या उस पर शर्तें लगाने का आधार होगा। आपातकाल में आवश्यक होने पर कोई भी पक्षकार 15 दिनों की अवधि समाप्त होने से पहले अंतरिम कार्रवाई कर सकता है।

7. इस अनुच्छेद के पैरा 6 के अनुसार की गई कोई भी कार्रवाई दूसरे पक्षकार द्वारा उपबंधों का अनुपालन किए जाने पर बंद कर दी जाएगी।

अनुच्छेद 11
वाणिज्यिक अवसर

1. प्रत्येक पक्षकार की एयरलाइन(एयरलाइनों) को वायु सेवाओं तथा वायु सेवाओं के प्रावधान के लिए आवश्यक अन्य सहायक उत्पादों और सुविधाओं के संवर्धन और बिक्री के लिए दूसरे पक्षकार के क्षेत्र में कार्यालय स्थापित करने का अधिकार होगा।

2. प्रत्येक पक्षकार की एयरलाइन (एयरलाइनों) को दूसरे पक्षकार के प्रवेश, निवास और रोजगार से संबंधित कानूनों और विनियमों के अनुसार, वायु सेवाओं तथा अन्य सहायक उत्पादों और सुविधाओं के प्रावधान के लिए आवश्यक प्रबंधकीय, बिक्री, तकनीकी, परिचालन और अन्य विशेषज्ञ कर्मचारियों को दूसरे पक्षकार के क्षेत्र में लाने और बनाए रखने का अधिकार होगा। ऐसे कर्मचारियों की आवश्यकता एयरलाइन के विकल्प पर, किसी भी राष्ट्रीयता के अपने कर्मचारियों से या दूसरे पक्षकार के क्षेत्र में संचालित और वहां ऐसी सेवाएं करने के लिए प्राधिकृत किसी अन्य वायुयान कंपनी, संगठन या कंपनी की सेवाओं का उपयोग करके पूरी की जा सकती है।

3. प्रत्येक पक्षकार की कोई भी वायुयान कंपनी दूसरे पक्षकार के क्षेत्र में वायु सेवाओं तथा अपने सहायक उत्पादों, सेवाओं और सुविधाओं की बिक्री में सीधे और, एयरलाइन के विवेकानुसार, अपने अभिकर्ताओं के माध्यम से

संलग्न हो सकती है। इस प्रयोजन के लिए, एयरलाइन को अपने स्वयं के परिवहन दस्तावेजों का उपयोग करने का अधिकार होगा और कोई भी व्यक्ति उस क्षेत्र की मुद्रा या स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय मुद्राओं में ऐसे परिवहन तथा उसके सहायक उत्पादों, सेवाओं और सुविधाओं को खरीदने के लिए स्वतंत्र होगा।

4. इस अनुच्छेद के पैरा 6 के उपबंधों के अधीन, प्रत्येक पक्षकार की वायुयान कंपनी(यों) को मांग पर, और दूसरे पक्षकार के कानूनों और विनियमों के अनुसार कर दायित्वों का निपटान करने के बाद, किसी भी परिवर्तनीय मुद्रा में दूसरे पक्षकार के क्षेत्र में ऐसी एयरलाइन (एयरलाइनों) द्वारा वायु परिवहन तथा अन्य सहायक उत्पादों, सेवाओं और सुविधाओं की बिक्री के संबंध में अर्जित स्थानीय राजस्व को, स्थानीय रूप से वितरित राशियों से अधिक होने पर, तथा ऐसे राजस्व पर अर्जित ब्याज (हस्तांतरण की प्रतीक्षा कर रही जमा राशियों पर अर्जित ब्याज सहित) को स्वतंत्र रूप से परिवर्तित और हस्तांतरित करने का अधिकार होगा। परिवर्तन और विप्रेषण तत्काल तथा बिना किसी प्रतिबंध के, उस विनिमय दर पर अनुमत होगा जो उस तारीख को चालू लेनदेन और विप्रेषण पर लागू हो जिस तारीख को वायुयान कंपनी विप्रेषण के लिए प्रारंभिक आवेदन करती है।

5. प्रत्येक पक्षकार की एयरलाइन (एयरलाइनों) को ईंधन की खरीद सहित स्थानीय व्ययों का भुगतान दूसरे पक्षकार के क्षेत्र में स्थानीय मुद्रा में करने की अनुमति होगी। उनके विवेकानुसार, प्रत्येक पक्षकार की एयरलाइन (एयरलाइनों) को दूसरे पक्षकार के क्षेत्र में ऐसे खर्चों का भुगतान दूसरे पक्षकार के राष्ट्रीय विनियमों के अनुसार आसानी से परिवर्तनीय मुद्राओं में करने की अनुमति होगी।

6. इस अनुच्छेद में निहित किसी भी बात के बावजूद, इस अनुच्छेद के अधीन अधिकारों का प्रयोग लागू घरेलू नियमों और विनियमों तथा घरेलू कर कानूनों या लागू दोहरे कराधान से बचाव समझौते के अनुसार होगा।

अनुच्छेद 12
सहकारी विपणन व्यवस्थाएं

1. विनिर्दिष्ट मार्गों पर सहमत सेवाओं का प्रचालन करते समय या बिक्री के लिए प्रस्तुत करते समय, प्रत्येक पक्षकार की नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) को कोड शेयर, ब्लॉक स्पेस या किसी अन्य संयुक्त उद्यम व्यवस्था जैसी सहकारी विपणन व्यवस्थाओं में निम्नलिखित के साथ प्रवेश करने की अनुमति होगी:

   - उसी पक्षकार की नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) से; अथवा
   - दूसरे पक्षकार की नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) से; अथवा
   - तीसरे पक्षकार की नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) से

2. सहकारी विपणन व्यवस्थाओं में शामिल प्रचालन करने वाली एयरलाइन (एयरलाइनों) के पास अंतर्निहित यातायात अधिकार, जिसमें मार्ग अधिकार और क्षमता के अधिकार शामिल हैं, होने चाहिए और उन्हें ऐसी व्यवस्थाओं पर सामान्यतः लागू आवश्यकताओं को पूरा करेंगी।

3. सहकारी व्यवस्थाओं में शामिल सभी विपणन एयरलाइन (एयरलाइनों) के पास अंतर्निहित मार्ग अधिकार होंगे तथा उन्हें ऐसी व्यवस्थाओं विषयक सामान्यतः लागू अपेक्षाओं को पूरा करेंगी।

4. ऐसी व्यवस्थाओं के अंतर्गत निष्पादित वायु सेवाओं द्वारा संचालित कुल क्षमता केवल उस पक्षकार के क्षमता अधिकार के विरुद्ध गिनी जाएगी जो संचालन करने वाली वायुयान कंपनी(यों) को नामित करता है। ऐसी सेवाओं पर विपणन वायुयान कंपनी(यों) द्वारा प्रस्तावित क्षमता उस पक्षकार के क्षमता अधिकार के विरुद्ध नहीं गिनी जाएगी जो उस वायुयान कंपनी को नामित करता है।

5. एक पक्षकार की नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) को दूसरे पक्षकार की नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) के साथ सहकारी विपणन व्यवस्थाओं में प्रवेश करके, उनके संबंधित मार्ग अनुसूची में विनिर्दिष्ट अनुसार, कॉल के प्वाइंट/

प्वाइंटों से आगे दूसरे पक्षकार के क्षेत्र के भीतर अन्य बिंदुओं तक सेवाओं का विपणन करने की भी अनुमति होगी (घरेलू कोड शेयर), बिना इन प्वाइंटों के बीच कैबोटाज अधिकारों का प्रयोग किए।

6. किसी भी पक्षकार की नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) को कोड शेयर प्रचालन में शामिल विमानों के बीच यातायात (अर्थात् स्टारबर्स्ट) को वायुयानों की संख्या, आकार और प्रकार के संबंध में बिना किसी प्रतिबंध के स्थानांतरित करने की अनुमति होगी।
7. प्रचालन करने वाली एयरलाइन (एयरलाइनों) के अतिरिक्त, प्रत्येक पक्षकार के विमानन प्राधिकरण विपणन एयरलाइन (एयरलाइनों) से अनुमोदन के लिए अनुसूचियां दाखिल करने और सहकारी विपणन व्यवस्थाओं के अंतर्गत वायु सेवाओं के प्रारंभ होने से पहले कोई अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकते हैं।
8. ऐसी व्यवस्थाओं के अंतर्गत सेवाओं को बिक्री के लिए प्रस्तुत करते समय, संबंधित एयरलाइन या उसका अभिकर्ता बिक्री के प्वाइंट पर क्रेता को स्पष्ट करेगा कि सेवा के प्रत्येक खंड पर कौन-सी वायुयान कंपनी संचालन करने वाली एयरलाइन होगी और क्रेता किस एयरलाइन (एयरलाइनों) के साथ संविदात्मक संबंध में प्रवेश कर रहा है।
9. कोड शेयर सेवाएं प्रदान करने से पहले, कोड शेयर भागीदार इस बात पर सहमत होंगे कि सुरक्षा, संरक्षा, सुविधा, दायित्व और अन्य उपभोक्ता-संबंधी मामलों के लिए कौन-सा पक्षकार जिम्मेदार होगा। ऐसी सहमति कोड शेयर व्यवस्थाओं के कार्यान्वयन से पहले दोनों पक्षकारों के विमानन प्राधिकरणों के पास दाखिल की जाएगी।

अनुच्छेद 13
इंटरमॉडल सेवाएं

प्रत्येक पक्षकार की नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) को यात्रियों और कार्गो के विमान परिवहन के संबंध में दूसरे पक्षकार के क्षेत्र के किसी भी प्वाइंट से या तक किसी भी इंटरमॉडल परिवहन का उपयोग करने की अनुमति होगी। ऐसी एयरलाइन (एयरलाइनों) अपने इंटरमॉडल परिवहन का स्वयं प्रचालन करने या कोड शेयर सहित अन्य वाहकों के साथ व्यवस्थाओं के माध्यम से इसे प्रदान करने का विकल्प चुन सकती हैं। इंटरमॉडल सेवाओं को एकल मूल्य पर विमान और इंटरमॉडल परिवहन के संयुक्त थ्रू सेवा के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है, बशर्ते यात्रियों और प्रेषकों को ऐसे परिवहन के प्रदाताओं के बारे में सूचित किया गया हो।

अनुच्छेद 14
अनुसूचियों का अनुमोदन

1. प्रत्येक पक्षकार के विमानन प्राधिकरण दूसरे पक्षकार की नामित के वैमानिकी प्राधिकारियों से सहमत सेवाओं के प्रारंभ से कम-से-कम 30 दिन पहले उनके विचार और अनुमोदन के लिए ऐसी उड़ान अनुसूचियां दाखिल करने की अपेक्षा कर सकते हैं जिनमें सेवा के प्रकार और उसकी आवृत्ति, उपयोग किए जाने वाले ि विमान का प्रकार तथा प्रत्येक प्वाइंट पर उड़ान के समय से संबंधित सूचना हो। प्रत्येक आईएटीए यातायात मौसम के लिए कम-से-कम 30 दिन पहले तथा सहमत सेवाओं के प्रचालन के संबंध में किसी परिवर्तन को लागू किए जाने पर भी ऐसी ही सूचना प्रदान की जाएगी।
2. प्रत्येक पक्षकार की नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) को दूसरे पक्षकार के वैमानिकी प्राधिकारियों को यह संतुष्ट करने के लिए आवश्यक कोई अन्य सूचना भी देनी होगी कि इस समझौते की आवश्यकताओं का विधिवत पालन किया जा रहा है।

अनुच्छेद 15
सांख्यिकी का प्रावधान

1. प्रत्येक पक्षकार के के वैमानिकी प्राधिकारी दूसरे पक्षकार के वैमानिकी प्राधिकारियों को, या अपनी नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) के माध्यम से, सहमत सेवाओं पर दूसरे पक्षकार के क्षेत्र तक और वहां से प्रत्येक माह वहन किए गए यातायात से संबंधित आंकड़े प्रदान करेंगे, जिनमें ऐसे यातायात के चढ़ने और उतरने के बिंदु दर्शाए जाएंगे। ऐसे आंकड़े प्रत्येक माह की समाप्ति के बाद यथाशीघ्र, किंतु संबंधित माह के बाद 30 दिनों से अधिक नहीं, प्रदान किए जाएंगे।
2. प्रत्येक पक्षकार के विमानन प्राधिकरण अनुरोध पर दूसरे पक्षकार के वैमानिकी प्राधिकारियों को, या अपनी नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) के माध्यम से, दूसरे पक्षकार के क्षेत्र तक और वहां से वहन किए गए यातायात के वास्तविक उद्गम और गंतव्य से संबंधित आंकड़े प्रदान करेंगे।

अनुच्छेद 16
टैरिफ

1. प्रत्येक पक्षकार की नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) द्वारा प्रचालित सहमत सेवाओं के संबंध में टैरिफ प्रत्येक नामित एयरलाइन द्वारा बाजार में अपने वाणिज्यिक विचारों के आधार पर उचित स्तरों पर निर्धारित किए जाएंगे, जिसमें प्रचालन की लागत और उचित लाभ सहित सभी प्रासंगिक कारकों पर उचित ध्यान दिया जाएगा।
2. इस अनुच्छेद के पैरा 1 के अधीन निर्धारित टैरिफ को एक पक्षकार की नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) द्वारा दूसरे पक्षकार के वैमानिकी प्राधिकारियों के पास दाखिल करना आवश्यक नहीं होगा।
3. उपर्युक्त के बावजूद, प्रत्येक पक्षकार को निम्नलिखित के लिए हस्तक्षेप करने का अधिकार होगा:
   (क) ऐसे टैरिफों को रोकना जिनके अनुप्रयोग से प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रतिक्रिया उत्पन्न हो, जिसका प्रभाव किसी प्रतिस्पर्धी को नुकसान पहुंचे या किसी मार्ग से प्रतिस्पर्धी को बाहर करना है या होने की संभावना है या जिसका उद्देश्य ऐसा करना है;
   (ख) उपभोक्ताओं को प्रभुत्वशाली स्थिति के दुरुपयोग के कारण अत्यधिक या प्रतिबंधात्मक टैरिफों से संरक्षण करना; और
   (ग) एयरलाइनों का उन टैरिफों से संरक्षण करना जो लूटने वाली या कृत्रिम रूप से निम्न हो।
4. इस अनुच्छेद के पैरा 3 में निर्धारित प्रयोजनों के लिए, एक पक्षकार के वैमानिक प्राधिकारी दूसरे पक्षकार की नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) से टैरिफ निर्धारित करने से संबंधित सूचना प्रदान करने की अपेक्षा कर सकते हैं।
5. यदि एक पक्षकार का यह मानना है कि दूसरे पक्षकार की नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) द्वारा लिया गया टैरिफ इस अनुच्छेद के पैरा 3 में निर्धारित मानदंडों के अनुरूप नहीं है, तो वह यथासंभव शीघ्र दूसरे पक्षकार को अपने असंतोष के कारणों से अवगत कराएगा और परामर्श का अनुरोध करेगा, जो अनुरोध प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर आयोजित किया जाएगा। यदि पक्षकार उस टैरिफ के संबंध में समझौते पर पहुंचते हैं जिसके लिए असंतोष की सूचना दी गई है, तो प्रत्येक पक्षकार उस समझौते को प्रभावी करने के लिए अपने सर्वोत्तम प्रयास करेगा। ऐसे समझौते के अभाव में, पहले से विद्यमान टैरिफ प्रभावी रहेगा।

अनुच्छेद 17
बहुपक्षीय समझौते

यदि इस समझौते के लागू होने के बाद दोनों पक्षकार किसी ऐसे बहुपक्षीय समझौते के पक्षकार बनते हैं जो इस समझौते में शामिल विषयों से संबंधित है, तो कोई भी पक्षकार यह निर्धारित करने के लिए परामर्श का अनुरोध कर सकता है कि क्या इस बहुपक्षीय समझौते को ध्यान में रखते हुए इस समझौते में संशोधन किया जाना चाहिए।

अनुच्छेद 18

परामर्श

1. कोई भी पक्षकार किसी भी समय इस समझौते की निर्वचन, अनुप्रयोग, कार्यान्वयन या संशोधन अथवा इस समझौते के अनुपालन पर परामर्श के लिए लिखित अनुरोध कर सकता है।
2. जब तक पक्षकारों द्वारा अन्यथा सहमत न हो, ऐसे परामर्श दूसरे पक्षकार द्वारा अनुरोध प्राप्त किए जाने की तारीख से 60 दिनों के भीतर प्रारंभ होंगे।

अनुच्छेद 19
संशोधन

1. यह समझौता पक्षकारों के लिखित समझौते द्वारा संशोधित किया जा सकता है।
2. इस प्रकार सहमत कोई संशोधन इस समझौते के अनुच्छेद 23 के उपबंधों के अनुसार लागू होगा।
3. इस अनुच्छेद के पैरा 2 के बावजूद, पक्षकार इस समझौते के अनुबंध में किए गए संशोधन को तत्काल प्रभाव देने पर सहमत हो सकते हैं।

अनुच्छेद 20
विवादों का निपटारा

1. इस समझौते के अध्यधीन उत्पन्न कोई विवाद, जो औपचारिक परामर्श द्वारा सुलझाया नहीं जा सका हो, पक्षकारों की सहमति से निर्णय के लिए किसी व्यक्ति या निकाय को भेजा जा सकता है। यदि पक्षकार ऐसी सहमति पर नहीं पहुंचते हैं, तो किसी भी पक्षकार के अनुरोध पर विवाद को निम्नानुसार निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है।
2. मध्यस्थता तीन मध्यस्थों के न्यायाधिकरण द्वारा निम्नलिखित प्रकार से गठित की जाएगी:
   (क) मध्यस्थता के अनुरोध की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर प्रत्येक पक्षकार एक मध्यस्थ नामित करेगा। इन दो मध्यस्थों के नामित किए जाने के 60 दिनों के भीतर वे सहमति से तीसरे मध्यस्थ की नियुक्ति करेंगे, जो न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा;
   (ख) यदि कोई पक्षकार मध्यस्थ नामित करने में विफल रहता है, अथवा यदि इस पैरा के खंड (क) के अनुसार तीसरे मध्यस्थ नियुक्त नहीं किया जाता है, तो कोई भी पक्षकार अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन की परिषद के अध्यक्ष से 30 दिनों के भीतर आवश्यक मध्यस्थ या मध्यस्थों की नियुक्ति करने का अनुरोध कर सकता है। यदि परिषद का अध्यक्ष किसी एक पक्षकार की ही राष्ट्रीयता का है, तो उस आधार पर अयोग्य न होने वाला सबसे वरिष्ठ उपाध्यक्ष नियुक्ति करेगा। यदि इस पैरा के अध्यधीन अध्यक्ष या सबसे वरिष्ठ योग्य उपाध्यक्ष तीसरे मध्यस्थ की नियुक्ति करता है, तो उस तीसरे मध्यस्थ किसी भी पक्षकार का नागरिक नहीं होगा।
3. जब तक अन्यथा सहमत न हो, न्यायाधिकरण इस समझौते के अनुसार अपने अधिकार-क्षेत्र की सीमाएं निर्धारित करेगा और अपनी प्रक्रिया के नियम स्थापित करेगा। न्यायाधिकरण के गठन के बाद वह अपने अंतिम निर्धारण तक अंतरिम राहत उपायों की सिफारिश कर सकता है। न्यायाधिकरण के निर्देश पर या किसी पक्षकार के अनुरोध पर, मध्यस्थता किए जाने वाले सटीक मुद्दों और अपनाई जाने वाली विशिष्ट प्रक्रियाओं का निर्धारण करने के लिए सम्मेलन न्यायाधिकरण के पूर्णतः गठित होने के 15 दिनों के भीतर आयोजित किया जाएगा।
4. जब तक अन्यथा सहमत न हो या न्यायाधिकरण द्वारा निर्देशित न किया जाए, प्रत्येक पक्षकार न्यायाधिकरण के पूर्णतः गठित होने के 45 दिनों के भीतर एक ज्ञापन प्रस्तुत करेगा। उत्तर 60 दिन बाद प्रस्तुत किए जाएंगे। न्यायाधिकरण किसी भी पक्षकार के अनुरोध पर या अपने स्वयं के पहल पर, उत्तर प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख के 15 दिनों के भीतर सुनवाई करेगा।

5. न्यायाधिकरण सुनवाई पूरी होने के 30 दिनों के भीतर, या यदि कोई सुनवाई नहीं होती है तो दोनों उत्तर प्रस्तुत किए जाने की तारीख के बाद 30 दिनों के भीतर, लिखित निर्णय देने का प्रयास करेगा। न्यायाधिकरण के बहुमत का निर्णय प्रभावी होगा।
6. कोई भी पक्षकार निर्णय दिए जाने के 15 दिनों के भीतर उसकी स्पष्टीकरण के लिए अनुरोध कर सकता है और ऐसा स्पष्टीकरण अनुरोध के 15 दिनों के भीतर जारी किया जाएगा।
7. प्रत्येक पक्षकार, अपने राष्ट्रीय कानून के अनुरूप सीमा तक, न्यायाधिकरण के किसी निर्णय या पंचाट को पूर्ण प्रभाव देगा।
8. न्यायाधिकरण के खर्च, जिसमें मध्यस्थों के शुल्क और खर्च शामिल हैं, पक्षकारों द्वारा समान रूप से वहन किए जाएंगे। इस अनुच्छेद के पैरा 2 के खंड (ख) में निर्धारित प्रक्रियाओं के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन की परिषद के अध्यक्ष द्वारा किए गए किसी भी व्यय को न्यायाधिकरण के खर्च का भाग माना जाएगा।

अनुच्छेद 21
समाप्ति

कोई भी पक्षकार किसी भी समय दूसरे पक्षकार को इस समझौते को समाप्त करने के अपने निर्णय की लिखित सूचना दे सकता है। ऐसी सूचना अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन को भी साथ-साथ भेजी जाएगी। यह समझौता सूचना प्राप्त करने वाले स्थान पर, दूसरे पक्षकार द्वारा सूचना प्राप्त किए जाने की तारीख की पहली वर्षगांठ से ठीक पहले मध्यरात्रि को समाप्त हो जाएगा, जब तक कि इस अवधि की समाप्ति से पहले पक्षकारों की सहमति से सूचना वापस न ले ली जाए। दूसरे पक्षकार द्वारा प्राप्ति की पावती न दिए जाने की स्थिति में, सूचना को अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन द्वारा नोटिस प्राप्त किए जाने के 14 दिन बाद प्राप्त माना जाएगा।

अनुच्छेद 22
आईसीएओ के साथ पंजीकरण

यह समझौता और इसमें किए गए सभी संशोधन उस पक्षकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन के साथ पंजीकृत किए जाएंगे जिसके क्षेत्र में समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।

अनुच्छेद 23
प्रवेश और प्रवर्तन

यह समझौता उस अंतिम राजनयिक नोट की प्राप्ति की तारीख को लागू होगा जिसके द्वारा एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को सूचित करता है कि इसके लागू होने के लिए उसके आंतरिक विधान द्वारा निर्धारित आवश्यकताएं पूरी कर दी गई हैं।

इस समझौते के लागू होने की तारीख से, भारत गणराज्य की सरकार और संघीय यूगोस्लाविया गणराज्य की संघीय सरकार के बीच 31 जनवरी, 2003 को बेलग्रेड में हस्ताक्षरित वायु सेवा समझौता समाप्त हो जाएगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप, अधोहस्ताक्षरी, अपनी-अपनी सरकारों द्वारा विधिवत अधिकृत होकर, इस समझौते पर हस्ताक्षर कर चुके हैं।

बेलग्रेड में 15 सितंबर 2018 को दो प्रतियों में, अंग्रेजी भाषा में किया गया, जो प्रामाणिक पाठ होगा। समझौते का हिंदी और सर्बियाई भाषाओं में अनुवाद तैयार किया जाएगा और राजनयिक नोटों के आदान-प्रदान द्वारा, जो अंग्रेजी भाषा के पाठ के साथ उनकी अनुरूपता की पुष्टि करें, सहमति होने पर उन्हें समान रूप से प्रामाणिक माना जाएगा। व्याख्या में किसी भिन्नता की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

कृते भारत गणराज्य की सरकार	कृते सर्बिया गणराज्य की सरकार
हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
नाम: एस. भट्टाचार्य पदनाम : राजदूत	नाम: प्रो0 श्रीमती ज़ोराना ज़ मिहाजलोविक पदनाम : उप-प्रधानमंत्री और निर्माण, परिवहन तथा बुनियादी ढांचा मंत्री

अनुबंध
मार्ग अनुसूची

खंड I

सर्बिया गणराज्य की सरकार द्वारा नामित वायुयान कंपनियों के लिए मार्ग:

प्रारंभिक बिंदु	मध्यवर्ती बिंदु	भारत में कॉल के बिंदु	आगे के बिंदु
सर्बिया में बिंदु	Nil	नई दिल्ली, मुंबई और 2 अतिरिक्त महानगरीय शहर, जिन्हें बाद में निर्दिष्ट किया जाएगा	Nil

खंड II

भारत गणराज्य की सरकार द्वारा नामित वायुयान कंपनियों के लिए मार्ग:

प्रारंभिक बिंदु	मध्यवर्ती बिंदु	सर्बिया में कॉल के बिंदु	आगे के बिंदु
भारत में कोई भी बिंदु	Nil	कोई भी बिंदु	Nil

खंड III

1. खंड I और खंड II में निर्दिष्ट न किए गए मध्यवर्ती या आगे के बिंदुओं की सेवा की जा सकती है, बशर्ते कि ऐसे बिंदुओं और दूसरे पक्षकार के क्षेत्र के किसी भी बिंदु के बीच पंचम स्वतंत्रता यातायात अधिकारों का प्रयोग न किया जाए।

2. एक पक्षकार के क्षेत्र में दो या अधिक बिंदुओं की सेवा दूसरे पक्षकार की नामित वायुयान कंपनी(यों) द्वारा एक ही उड़ान पर नहीं की जाएगी।

3. प्रत्येक पक्षकार की नामित वायुयान कंपनी(यों) को दूसरे पक्षकार के क्षेत्र में उपलब्ध कॉल के बिंदुओं के लिए सेवाएं या तो अपने स्वयं के संचालन के माध्यम से या कोड शेयर व्यवस्था (घरेलू कोड शेयर सहित) के माध्यम से प्रदान करने का अधिकार होगा।

4. प्रत्येक पक्षकार की नामित वायुयान कंपनी(यों) को दूसरे पक्षकार के क्षेत्र में अपने संबंधित मार्ग अनुसूची के अंतर्गत निर्दिष्ट बिंदुओं के अतिरिक्त किसी भी 4 अतिरिक्त बिंदुओं के लिए घरेलू कोड शेयर सेवाएं प्रदान करने का अधिकार होगा, जैसा कि ऊपर खंड I और II में उल्लिखित है। इन 4 बिंदुओं को किसी भी समय निर्दिष्ट किया जा सकता है।